

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार सेडवा


नाम राज सरकासाम हाथी विप्राथी
 सरकार जरिये पटवारी बाण्डोली श्री
 हल्का बाण्डोली वल्द हाथी
 निवासी बाण्डोली जाति मेगावाल
 राजस्व मुकद्दमा नं. 04/2019
 अन्तर्गत धारा 91 भू- राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 19/10/19

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का बाण्डोली की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
 जिसके अनुसार अप्राथी ने सरकारी भूमि मौजा बाण्डोली के ख.न. 743/112 में रकबा 500 बीघा
 किस्म गोबुरा पर संवत् 2076 खरीफ में काश्त कब्जा कर अतिक्रमण किया है।
 अप्राथी को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राथी से
 तामिल हो चुका है अप्राथी उपस्थिति/अनुपस्थिति।

अप्राथी आखिर उसने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करना स्वीकार
 किया। बावजूद नोटिस तामिल के अप्राथी अनुपस्थित रहा, अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल
 में लाई जाती है। अतः अप्राथी को विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश
 दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त सरकार किया जाकर अप्राथी पर बतौर लगाया शस्ति के
 भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.30 का 50 गुणा रूपये 15
 अक्षरे पन्धे दानपे आरोपित किये जाते हैं भू.अ. निरीक्षक हल्का बाण्डोली
 को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि पर जब्त शुदा फसल की नीलामी नियमानुसार कर गैर सायल को
 नाजायद कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर पालना 7 दिन में पेश करे। जुर्माना की वसूली हेतु पटवारी हल्का
 एवं तहसील राजस्व लेखाकर सूचित हो।

पत्रावली बाद आदेश की पालना के दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 19/10/19
 को सरे आम लिख कर सुनाया गया।


 तहसीलदार सेडवा